103

निग/2901/II/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा,

(म०प्र०)

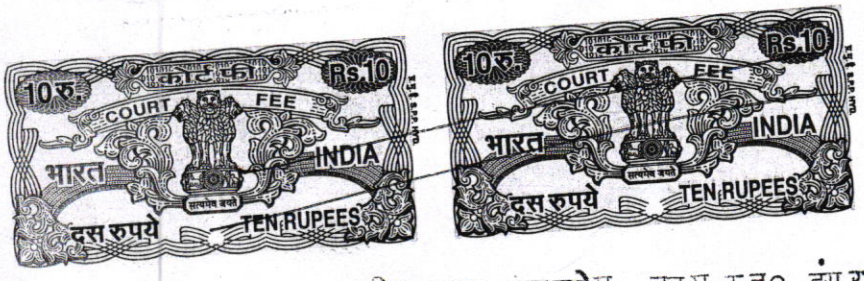

Rs 20/-

उम्र 82 वर्ष

हीरालाल पाण्डेय तनय स्व० हंसराम नि० ग्रा० जोगिनहाई,

तह० रायपुर कर्चु०, जिला-रीवा (म०प्र०) ----निगरानीकर्ता

298
6.8.15

बनाम

शासन म०प्र० ------ ---अनावेदक /गैरनिगरा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल / तहसील-रायपुर कर्चु०, जिला रीवा (म०प्र०) द्वारा प्रक०क्र०-241/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दि० 09-06-15

श्री एन.के. मिश्रा एड
द्वारा आज दिनांक 06-8-15 के
प्रस्तुत किया गया
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959 ई०

महोदय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

(1) यह कि मातहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि, प्रक्रिय एवं नैसर्गिक न्यायसिद्धांत एवं वरिष्ठ न्यायालयों के निर्देशों के विपरीत होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

(2) यह कि निगरानीकर्ता ने तत्कालीन तहसील-हुजूर के तहसीलदार के समक्ष मौजा जोगिनहाई की आ० नं० 1420 रकवा 0.08ए०, 1423 रकवा 0.21 ए०, 1424 रकवा 0.46 ए०, के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार महोदय ने मामला राजस्व प्रक०क्र० 17/अ-12/77 में दर्ज कर अपने मातहत राजस्व अमला से सीमांकन की कार्यवाही करायी।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क0 2901–दो/2015 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
17/7/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 241 अ–12/14–15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 9–6–15 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक की मांग पर उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 1351, 1352, 1353, 1354,1355 का सीमांकन राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 26–5–15 को किया गया। सीमांकन पर आपत्ति न आने पर आदेश दिनांक 9–6–15 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक ने यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया है कि निगरानीकर्ता की मांग थी कि नए व पुराने नक्शे में 10 कड़ी जमीन का अन्तर आता है जिसके कारण बंदोवस्त नक्शे के आधार पर सीमांकन किया जाय, किन्तु राजस्व निरीक्षक ने बंदोवस्त के वाद तैयार किये गये नक्शे के आधार पर गलत सीमांकन किया है इसलिये राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 9–6–15 निरस्त करके पुनः बंदोवस्त के पूर्व के नक्शे के आधार पर सीमांकन के निर्देश दिये जावे। 4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने से परिलक्षित है कि यदि आवेदक यह समझता है कि बंदोवस्त के पूर्व का नक्शा सही है एंव बंदोवस्त के वाद का नक्शा गलत तैयार किया गया है तब वह तदाशय की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में कराने हेतु स्वतंत्र है। जहॉ तक राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 9–6–15 का प्रश्न है पटवारी पर उपलब्ध नक्शे के आधार पर दिनॉक 26–5–15 को राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये सीमांकन, स्थल पर तैयार पंचनामा, मौके पर तैयार की गई क्षेत्र पुस्तिका अनुसार राजस्व निरीक्षक व्दारा की गई सीमांकन कार्यवाही में एंव आदेश दिनांक 9–6–15 में दोष प्रतीत न होने से निगरानी सारहीन है जो इसी स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	